



4-3837/15



INDIA NON JUDICIAL


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

75/14

सत्यमेव जयते

Certificate No. : IN-UP00840105789450N
 Certificate Issued Date : 19-Jan-2015 03:32 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0101003595514304N
 Purchased by : OMAXE LTD
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : KHASRA NO.71SA,85SA, AND OTHERS, LAND SITUATED AT VILL-SARSAWAN, PARG-LKO.
 Consideration Price (Rs.) : 7,14,64,500
 (Seven Crore Fourteen Lakh Sixty Four Thousand Five Hundred only)
 First Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 Second Party : OMAXE LTD
 Stamp Duty Paid By : OMAXE LTD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 28,69,000
 (Twenty Eight Lakh Sixty Nine Thousand only)



Please write or type below this line.....



(श्री) रा. मन्त्र प्रमो
राजिब
लक्ष्मण विभागा प्रधिकरण



XM 0001268050


Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details of this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Compliant Authority.

लेखनीय - 30000 / नमूना - 715,04,262/-
 जी.सि.ए. 39762/-
71703072

जीव
 10000 + 20 + 20 = 10040 |

... वाक्यांश ...
 ... वाक्यांश ...
 ... वाक्यांश ...


 ...
 ...

... वाक्यांश ...
 ... वाक्यांश ...
 ... वाक्यांश ...



नजराना - 7,14,64,500 /-

वार्षिक किराया - 39,762 /-

स्टाम्प - 28,69,000 /-

परगना - लखनऊ

पट्टा-विलेख

यह पट्टा सन् 2015 के मार्च माह के 27 वें दिन, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (जिनको यहां आगे चलकर "पट्टादाता" कहा गया है) प्रथम पक्ष।

तथा

मेसर्स ओमेक्स लि०, जो कम्पनी एक्ट, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है, एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय : शॉप नं० 19-बी, ओमेक्स सेलेब्रेशन माल, सोहना रोड, गुडगाँव-122001(हरियाणा), जरिये अधिकृत हस्ताक्षरी श्री पुनीत कुमार पुत्र स्व० पी०पी० गुप्ता (जिनको यहां आगे चलकर "पट्टेदार" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

2- चूंकि पट्टेदार एक आवास निर्माण कम्पनी है जिसका उद्देश्य घर्म, जाति, वर्ग, भाषा, सम्प्रदाय आदि का भेद-भाव किये बिना सभी के लिये आवास निर्माण कर विक्रय किये जाने का है, जिसके निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना है।

और चूंकि इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति विषयक शासनादेश संख्या-2711/आ-1-05-34 विविध/03, दिनांक 21/05/2005 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास हेतु नीति (जिसे एतदपश्चात् उक्त नीति कहा गया है) निर्गत की गयी है।

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसरण में इस विलेख की अनुसूची में वर्णित ग्राम-सरसवाँ, परगना, तहसील, व जिला-लखनऊ में स्थित 5.268 (पाँच दशमलव दो छः आठ)

५
(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव
ग्राम विकास प्राधिकरण



हेक्टेयर, ग्राम-समाज की भूमि को, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1248/एक-1-2013-5(43)/2013, लखनऊ, दिनांक 12.08.2013 के अधीन उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1951) की धारा-117 की उपधारा(6) के अर्न्तगत, पुर्नग्रहीत कर लिया गया है और जो सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गयी है।

अतः शासनादेश संख्या-प्र0स0 474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनांक 19.12.2008 द्वारा पट्टेदार के नाम के आगे अभिव्यक्त अधिकारों, निर्वन्धनों एवं विभिन्न प्रसविदाओं तथा अनुबन्धों के अधीन उक्त नीति के अनुसार टाउनशिप के विकास के प्रयोजन (जिसे एतदपश्चात "निर्धारित प्रयोजन" कहा गया है) से पट्टेदार को हस्तान्तरित करने के लिये पट्टादाता सहमत हुये हैं।

- 3- अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 (सन् 1895 ई0 का एक्ट संख्या-15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि नजराना रू0 7,14,64,500/- (रुपया सात करोड़ चौदह लाख चौसठ हजार पाँच सौ) मात्र व मालगुजारी का 150 गुना रू0 39,762/- (रुपया उन्तालिस हजार सात सौ बासठ) मात्र की धनराशि जो भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ की मुख्य शाखा में क्रमशः चालान सं0 जी80016 दिनांक 06.06.2014, जी70013 दिनांक 24.07.2014 व जी100028 दिनांक 20.09.2014 के माध्यम से विकासकर्ता/ पट्टेदार द्वारा जमा कर दिया गया है, मात्र के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतद्वारा स्वीकार करता है) तथा आगे आरक्षित वार्षिक किराया रू0 39,762/- (रुपया उन्तालिस हजार सात सौ बासठ) मात्र के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतद्वारा वह सब भूखण्ड, जिनका विवरण इसकी

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण



(भाग-1)

(प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रकवा जाने वाला)

क्रम संख्या

75

ख पत्र या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम श्री गुरुदेव

पत्र का प्रकार

पत्र की धनराशि 4223048

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 10000040

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुख्तारनामा के अधिग्रहण के लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यांत्रिक पता


8 तक का योग 100400/

बसूल करने का दिनांक 27/3/15

जब लेख्य प्रतिलिपि या तलाशनामा पत्र

बसूल के लिए तैयार किया

करण अधिकारी के हस्ताक्षर




अनुसूची में दिया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे आगे उक्त "भूमि" कहा जायेगा), पट्टेदार को सन् 2015 ई0 के ...मार्च माह के 27वें दिन से 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर निम्न शर्तों पर हस्तांतरित करते हैं। इस आधिपत्य के उपलक्ष्य में उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियों को छोड़कर रू0 39,762/- (रुपया उन्तालिस हजार सात सौ बासठ) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अंग्रेजी माह जून के पहले सप्ताह में कलेक्टर-लखनऊ के कार्यालय में या पट्टादाता द्वारा समय-समय पर नियत स्थान पर या स्थानों पर भुगतान करेगा।

और पट्टादाता से पट्टेदार निम्न प्रसंविदा करता है :-

1. यह कि पट्टेदार द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा, जिसके लिए भूमि दी जा रही है।
2. यह कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर भूमि का पट्टा शासन/प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का अधिकार पट्टादाता को होगा।
3. यह कि पट्टेदार को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने पर वह उसे शासन/प्राधिकरण को वापस कर देगा।
4. यह कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ले लिये जाने अथवा पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे राज्य सरकार को समर्पित किये जाने की स्थिति में पट्टेदार को उक्त भूमि पर निर्मित किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।
5. यह कि पट्टेदार को पट्टे की भूमि बिना कब्जे के राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु उनके पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा। शर्त यह होगी कि पट्टेदार


(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण





द्वारा शासन को बाजार दर पर पट्टे की भूमि का मूल्य अदा कर दिया गया है।

6. यह कि उक्त भूमि का उपयोग 03 (तीन) वर्ष में निर्धारित प्रयोजन हेतु न किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रश्नगत भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए पट्टे पर दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।
8. यह कि पट्टेदार ने वार्षिक किराया रू० 39,762/- (रुपया उन्तालिस हजार सात सौ बासठ) मात्र की दर से रू० 39,762/- की धनराशि पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व अर्थात् दिनांक 06.06.2014, 24.07.2014, 20.09.2014 को चालान संख्या जी80016, जी70013, जी100028 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, राजकीय व्यावसायिक शाखा, लखनऊ में जमा कर दिया है और पट्टेदार पट्टा के दौरान प्रतिवर्ष माह जून के प्रथम सप्ताह में या पहले वार्षिक किराया जमा करता रहेगा।
9. यह कि पट्टेदार उक्त वार्षिक किराया अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष जमा करेगा।
10. यह कि पट्टेदार द्वारा वार्षिक किराया समय से न जमा करने अथवा उपरिवर्णित शर्तों में किसी को भंग किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त भूमि का कब्जा राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा ले लिया जायेगा तथा पट्टेदार द्वारा किसी प्रतिकर की मांग नहीं की जायेगी।
11. यह कि पट्टेदार ऐसी प्रत्येक प्रकार की दरों, करों, परिव्ययों तथा निर्धारणों का भुगतान करेगा जो उक्त भूमि या उस पर निर्मित या निर्माण किये जाने

श्री
(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव
सामाजिक विकास प्राधिकरण






वाले भवन अथवा उसके स्वामी या किरायेदार पर उस समय अथवा उसके पश्चात किसी समय अवधारित, भारित, आरोपित किये जायें।

12. यह कि पट्टादाता की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों को पट्टेदार द्वारा काटा नहीं जायेगा और न दूसरे को काटने दिया जायेगा।
13. यह कि उक्त भूमि विधि के प्रवर्तनवश या किसी अन्य कारण से यहाँ दी गयी अवधि में हस्तांतरित हो, पट्टेदार उक्त हस्तांतरण के दिनांक से एक पंचाग मास के भीतर उक्त हस्तांतरण की सूचना जिलाधिकारी, लखनऊ को देगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक अभिहस्तांकन के पक्षों के नाम और पूरे ब्यौरे होंगे तथा उसका पूरा विवरण और उससे प्रभावित होने वाली सम्पत्ति का विवरण होगा और साथ में प्रत्येक अभिहस्तांकन पत्र, डिकी या आदेश, प्रमाण-पत्र या अन्य लेख जिसका प्रभाव उस हस्तांतरण पर पड़ता हो, देगा और उस सूचना के साथ उक्त लेख्य जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में कम से कम 07(सात) दिन रहेंगे तथा एतद्द्वारा यह प्रसंविदा की जाती है कि इस शर्त का पालन न किये जाने पर पट्टेदार पर दण्डस्वरूप रूपये, जैसा कि तत्कालीन समय पर सक्षम अधिकारी/पट्टादाता की ओर से नियत किया जावे मात्र का भुगतान करने का दायित्व होगा।
14. यह कि इस विलेख की अवधि समाप्त होने अथवा उसके पहले ही समाप्त कर दिये जाने पर पट्टेदार उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि को पट्टादाता को बिलकुल सही अवस्था में दे देगा।
15. पट्टा निष्पादन का व्यय भार संस्था/पट्टेदार द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा संस्था को प्रदान किया जायेगा।

41
(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव
ग्राम विकास प्राधिकरण





16. प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार होगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध है कि यह विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर और जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात एक माह तक भुगतान न होगा, चाहे वह विधितः मांगा गया हो या न मांगा गया हो अथवा यदि पट्टे में वर्णित प्रसंविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा तब और ऐसी किसी दशा में पट्टादाता ने भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के अधिकार को छोड़ दिया हो, उक्त भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अध्यासियों को वहां से निकाल सकता है और तब यह हस्तान्तरण बिलकुल निरस्त हो जायेगा तथा उक्त भूमि पर निर्मित भवनों को हटाने अथवा उसके संबंध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अपहृत हो जायेंगे।

यह भी प्रतिबन्ध है कि ऊपर जो कुछ अंकित है उसके अतिरिक्त पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह उस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाण-पत्र पर जो अन्तिम, निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि हस्तांतरित उक्त भूमि की पट्टादाता को किसी भी समय अपने कार्य के लिए आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि वह पट्टेदार को उक्त भूमि पर उस समय खड़े किसी


(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव






भवन को हटाने की एक माह की नोटिस दे और यह भी कि उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो माह के भीतर उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले, किन्तु शर्त यह है कि यदि पट्टादाता उक्त भूमि पर पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी भवन को क्रय करना चाहे तो पट्टेदार को उस भवन के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा, जो राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

और पट्टादाता पट्टेदार से यह प्रसंविदा करता है कि यदि पट्टेदार ने इस विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर और उसके व्यय से इस पट्टे की उक्त अवधि के समाप्त होने पर और उसके पश्चात समय-समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाये, पट्टेदार के नाम उक्त भूमि का नया पट्टा नवीनीकरण के रूप में 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिये जरिये पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध सदा ही रहेगा कि इस प्रकार नवीकृत अवधियां इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर 90 (नब्बे) वर्ष से अधिक न होगी और पट्टादाता कोई ऐसा नवीनीकरण स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह ऐसी किराये की दर पर हो जो उक्त भूमि के संबंध में उस समय दिया जा रहा है अथवा यदि वह पसन्द करे तो ऐसी बढाई हुई दर पर हो जो उस किराये के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक न हो जो कि नवीनीकरण के ठीक पहले देय था और सिवाय उस किराये की धनराशि जो तदनुसार निर्धारित की जाये और उस अवधि के जो स्वीकार की जाये, उक्त भूमि के प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इस विलेख की केवल उन्हीं प्रसंविदाओं, उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों को समावेश होगा जो उस समय लागू होंगे।


(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव
समाजक विकास प्राधिकरण



100



किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसे सब कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो हस्तांतरित उक्त भूमि के संबंध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय हैं अथवा भविष्य में देय होगा।

और इस विलेख के दोनों पक्ष अग्रोतर करार करते हैं कि :-

- (क) उक्त भूमि को पट्टे पर देने हेतु पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
- (ख) उक्त भूमि के हस्तांतरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (ग) उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।
- (घ) पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा पट्टेदार को प्रदान किया जायेगा।

4- भूमि का विवरण निम्नवत है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल (हे०)	विवरण/ प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	सरसंवाँ	71सं	0.124	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के उपयोगार्थ
				85सं	0.077	
				86सं	0.075	
				152	0.120	
				157	0.028	
				395सं	0.007	
				399	0.146	
				406	0.013	

(श्रीधर चन्द्र वर्मा)

लखनऊ





			421स	0.070
			443	0.046
			446	0.316
			447	0.240
			452	0.474
			459	0.110
			472/1137	0.119
			486	0.100
			497स	0.600
			514	0.204
			515	0.319
			517	0.065
			547	0.028
			555	0.047
			685	0.100
			686स	0.017
			687स	0.001
			688स	0.001
			689स	0.001
			690स	0.014
			494	0.250
			548	0.740
			554	0.816
		कुल	31	5.268

यह कि इस विलेख के माध्यम से पट्टे पर दी जा रही भूमि में से क्षेत्रफल 5.268 हेक्टेअर, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र ग्राम सरसवाँ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ अर्ध नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत है। चूंकि इस विलेख में नजराने की धनराशि रू0 7,14,64,500/- व एक वर्ष का लीज रेंट रू0 39,762/- सहित कुल धनराशि रू0 7,15,04,262/- अदा की गयी है। अतः सर्वाध्य मूल्यांकन


श्रीश चन्द्र वर्मा
सचिव

संयोजक



1000






R

Handwritten text in blue ink, possibly a signature or official stamp, located on the right side of the map.



2


U



रु0 7,17,03,072/- पर नियमानुसार 4 प्रतिशत की दर से रु0 28,69,000/- का स्टाम्प शुल्क देय होता है, फलस्वरुप रु0 28,69,000/- का स्टाम्प शुल्क पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है।


इस पट्टा विलेख के साक्ष्य में पट्टादाता की ओर से एवं उनके द्वारा शासनादेश संख्या-1160/8-3-12-122 एल.ए./09 दिनांक 01-06-2012 के माध्यम से अधिकृत श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा पट्टेदार की ओर से अधिकृत श्री पुनीत कुमार पुत्र स्व0 पी0पी0 गुप्ता बहैसियत अधिकृत हस्ताक्षरी वास्ते मेसर्स आमेक्स लि0, ने नीचे उन दोनों के हस्ताक्षर करा दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे दी गयी है।

साक्षीगण: 
 1. ह0  (..... श्री श्रीश चन्द्र वर्मा)
 नाम श्री शशि चन्द्र वर्मा पट्टाकर्ता की ओर से एवं
 पिता का नाम श्री राम चरण वर्मा उसके द्वारा अधिकृत
 पता 11/10/13, लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

2. ह0  (..... श्री श्रीश चन्द्र वर्मा)
 नाम श्री श्रीश चन्द्र वर्मा पट्टेदार की ओर से एवं
 पिता का नाम श्री शिव गोपाल वर्मा उसके द्वारा अधिकृत
 पता शाहपुरा, लखनऊ
विभूति एवड ओमरी बजार लखनऊ



27/3/15 16572
I
391/114 3837
9 face
3837



कब्जा हस्तान्तरण

मे0 ओमेक्स लिमिटेड, द्वारा संचालित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के पक्ष में ग्राम-सरसवां परगना लखनऊ तहसील लखनऊ की पुर्नग्रहीत भूमि की लीज डीड निष्पादित किये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से डा0 जितेन्द्र कटियार तहसीलदार-अर्जन को अधिकृत करते हुए उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 द्वारा दिनांक 10.03.2015 को अनुमति दी गयी है, जिसके कम में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक लीज डीड मे0 ओमेक्स लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित की गयी है, जो उपनिबन्धक द्वितीय लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 27.03.2015 को बही सं.1 जिल्द सं. 16572 पृष्ठ सं. 391 से 414 एवं कमांक-3837 पर रजिस्ट्रीकृत हुई है। उक्त आदेश के अनुपालन में लीज डीड से सम्बन्धित निम्नलिखित खसरा संख्याओं पर मे0 ओमेक्स लिमिटेड, को आज दिनांक 28.03.15 को कब्जा हस्तगत किया गया, जिसे मे0 ओमेक्स लिमिटेड की ओर से कब्जा प्राप्त करने के लिए अधिकृत श्री पुनीत कुमार वाइस प्रेसीडेंट बिजनेस डेवलपमेन्ट द्वारा प्राप्त किया गया।

कब्जा हस्तगत की गयी भूमि का विवरण :-

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	सरसवां	71 स	0.124	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के उपयोगार्थ
"	"	"	"	85 स	0.077	
"	"	"	"	86 स	0.075	
"	"	"	"	152	0.120	
"	"	"	"	157	0.028	
"	"	"	"	395 स	0.007	
"	"	"	"	399	0.146	
"	"	"	"	406	0.013	
"	"	"	"	421 स	0.070	
"	"	"	"	443	0.046	
"	"	"	"	446	0.316	
"	"	"	"	447	0.240	
"	"	"	"	452	0.474	
"	"	"	"	459	0.110	
"	"	"	"	472/1137	0.119	
"	"	"	"	486	0.100	
"	"	"	"	497 स	0.600	



"	"	"	"	514	0.204
"	"	"	"	515	0.319
"	"	"	"	517	0.065
"	"	"	"	547	0.028
"	"	"	"	555	0.047
"	"	"	"	685	0.100
"	"	"	"	686 स	0.017
"	"	"	"	687 स	0.001
"	"	"	"	688 स	0.001
"	"	"	"	689 स	0.001
"	"	"	"	690 स	0.014
"	"	"	"	494	0.250
"	"	"	"	548	0.740
"	"	"	"	554	0.816
			कुल	31	5.268

लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से
कब्जा देने हेतु अधिकृत अधिकारी


अमीन (अर्जुन)
ल०वि०प्रा०
लखनऊ


(डा० जितेंद्र कटियार)
तहसीलदार (अर्जुन)
ल०वि०प्रा०


अधिशासी अभियन्ता
(हा० / इटी० सेल) डी० वर्मा
ल०वि०प्रा० अभियन्ता (हा० / इ०सेल)
लखनऊ

कम्पनी की ओर से कब्जा लेने
वाले अधिकारी के हस्ताक्षर


पुनीत कुमार
वाइस प्रेसीडेंट बिजनेस
डेवलपमेन्ट, मे० ओमेक्स लिमिटेड



ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਠਾਕ
(ਸਿੱਖ) ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਿੱਖਾਂ
ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ